झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान–सभा
चतुर्दश (मानसून) सत्र
वर्ग–02

14 श्रावण 1936 (श0)
निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक–.....को
05 अगस्त 2014 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को संसूचित की गई सां0सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
70	अ0सू0– 20	श्री बंधु तिर्की	नियमित वेतन का भुगतान	मानव संसाधन विकास	29.07.2014
71	अ0सू0– 23	श्री रघुवर दास	भूमि की अनिवार्यता सीमा 5 एकड़ करना	मानव संसाधन विकास	30.07.2014
72	अ0सू0– 06	श्री माधवलाल सिंह	स्थापना की अनुमति	मानव संसाधन विकास	25.07.2014
73	अ0सू0– 25	श्री सत्यानन्द झा (बाटुल)	अवैध कोयला कारोबार को बंद करना	खनन एवं भूतत्व	30.07.2014
74	अ0सू0– 12	श्री अरविन्द कु0 सिंह	नियम को वापस लेना	स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	29.07.2014
75	अ0सू0– 15	डॉ0 सरफराज अहमद	छात्रों के साथ न्याय करना	मानव संसाधन विकास	29.07.2014
76	अ0सू0– 14	श्री मिस्त्री सोरेन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को चालू करना	स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	29.07.2014
77	अ0सू0– 16	डॉ0 सरफराज अहमद	शिक्षक की नियुक्ति एवं पुस्तक उपलब्ध कराना	मानव संसाधन विकास	29.07.2014
78	अ0सू0– 10	श्री चन्द्रेश्वर प्र0 सिंह	नियुक्ति नियमावली बनाना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	29.07.2014
79	अ0सू0– 24	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	उच्च विद्यालय का निर्माण	मानव संसाधन विकास	30.07.2014

80	अ0सू0– 13	श्री मिस्त्री सोरेन	संवेदक एवं कर्मियोंके विरूद्ध कार्रवाई करना	स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	29.07.2014
81	अ0सू0– 08	श्री बंधु तिर्की	एम्स का निर्माण कराना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	25.07.2014
82	अ0सू0– 03	श्री बन्ना गुप्ता	व्याख्याताओं की नियुक्ति	मानव संसाधन विकास	25.07.2014
83	अ0सू0– 11	श्री चन्द्रेश्वर प्र0 सिंह	सेवा का नियमितिकरण	मानव संसाधन विकास	29.07.2014
84	अ0सू0– 07	श्री कमल किशोर भगत	बी0एड0 महाविद्यालय का संचालन	मानव संसाधन विकास	25.07.2014
85	अ0सू0– 09	श्री रघुवर दास	पठन–पाठन प्रारंभ करना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	29.07.2014
86	अ0सू0– 02	श्री विनोद कुमार सिंह	ट्रांजिट परमिट का अधिकार पंचायत को देना	वन एवं पर्यावरण	25.07.2014
87	अ0सू0– 19	श्री माधवलाल सिंह	नदी को प्रदूषण मुक्त करना	वन एवं पर्यावरण	29.07.2014
88	अ0सू0– 17	श्री ढुलू महतो	शिक्षकों की नियुक्ति	मानव संसाधन विकास	29.07.2014
89	अ0सू0– 21	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	सीधी नियुक्ति हेतु संशोधित अधियाचना भेजना	उद्योग	30.07.2014
90	अ0सू0– 04	श्री प्रदीप यादव	खदान को बंद करना	खनन् एवं भूतत्व	25.07.2014
91	अ0सू0– 05	श्री बन्ना गुप्ता	दोषियों के खिलाफ कार्रवाई	निबंधन	25.07.2014
92	अ0सू0– 22	श्री समरेश सिंह	कोयलांचल विश्व – विद्यालय की स्थापना	मानव संसाधन विकास	30.07.2014
93	अ0सू0– 18	श्री अरूप चटर्जी	निदेशक नियुक्त करना	स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	29.07.2014
94	अ0सू0– 01	श्री विनोद कु0 सिंह	बकाया वेतन का भुगतान	मानव संसाधन विकास	25.07.2014

राँची,
दिनांक–05 अगस्त,2014 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–07/2010– 1562 /वि0स0, राँची, दिनांक– 2/8/14 ई0।

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव, तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

02/8/14

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।
कृ0पृ0उ0

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–07/2010– 1562 /वि0स0, राँची, दिनांक– 02/08/14 ई0।

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

02/8/14

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–07/2010– 1562 /वि0स0, राँची, दिनांक– 02/08/14 ई0।

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

02/8/14

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

01.08.14

बहादुर

(10)

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-20

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतन मद में क्रमशः 2,30,04,33,000/- एवं 92,49,31,000/- रु० का बजटीय प्रावधान है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के पांच माह बीत जाने के बाद भी गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान अब तक लंबित है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लंबित वेतन शीघ्र भुगतान कराते हुए प्रत्येक माह नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों के अनुदान संबंधी विपत्र कोषागार में उपस्थापित किये गये थे। कोषागार द्वारा कतिपय आपत्तियाँ लगायी गयी हैं, जिसका निराकरण कर पुनः विपत्र भेजा जा रहा है। प्रारम्भिक विद्यालयों का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। अनुदान की राशि शीघ्रताशीघ्र विमुक्त करने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-124/2014...1376...../ दिनांक 02-08-2014

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

(71)

श्री रघुवर दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-05.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या -23

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि किसी भी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के लिए कुछ शर्त्तें पूरी करनी पड़ती है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए किसी महाविद्यालय को पूर्व में 10 एकड़ जमीन महाविद्यालय के नाम निबंधित करवाने की अनिवार्यता थी।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये प्रावधान के अनुसार किसी भी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के लिए 10 एकड़ भूमि के स्थान पर 5 एकड़ भूमि की अनिवार्यता कर दी गयी है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित प्रावधान के अनुरूप झारखण्ड में भी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के लिए भूमि की अनिवार्यता सीमा 5 एकड़ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	मैनूअल ऑफ यूनिवर्सिटी लॉ के स्टेच्यूट की धारा-29 (3) (f) के अंतर्गत निहित प्रावधान के आलोक में किसी भी शिक्षण संस्थान को संबद्धता प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि एवं शहरी क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि का स्वामित्व प्राप्त होना आवश्यक है। स्टेच्यूट में एतद् संशोधन से संबंधित विश्वविद्यालय से कोई प्रस्ताव सरकार को विचार हेतु प्राप्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-37/2014.....1173..... रांची दिनांक-.....04/08/14...../

• प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा • सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1540 दिनांक-30.07.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/08/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(12)

श्री माधवलाल सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–06

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखंड मुख्यालय में वर्ष 1986 से प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के अधीन बालिका उच्च विद्यालय गोमिया का संचालन हो रहा है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखंड मुख्यालय में निजी बालिका विद्यालय, गोमिया का संचालन हो रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड –1 में वर्णित बालिका उच्च विद्यालय गोमिया का भवन निर्माण हो चुका है, जिसमें 20 कमरे है तथा पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कमरों की संख्या निम्नवत् है :– वर्ग कक्ष – 04 स्टोर रूम – 01 हॉल – 01 पूर्व निर्मित कमरे जो क्षतिग्रस्त हैं। विद्यालय को कुल 2.57 एकड़ भूमि है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित बालिका उच्च विद्यालय गोमिया की स्थापना की प्रस्वीकृति झारखंड इंटर कौंसिल से लेने हेतु कई बार आवेदन दिया गया, परन्तु अभी तक नही मिली।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। इस संदर्भ में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित विद्यालय की स्थापना अनुमति हेतु माननीय प्रश्नकर्त्ता विधायक द्वारा परिषद् को पत्र दिया गया, जिस पर समीक्षोपरान्त परिषद् ने विद्यालय को विहित प्रपत्र में साक्ष्य सहित आवेदन देने हेतु अनुरोध किया गया। परन्तु विद्यालय द्वारा स्थापना अनुमति हेतु अभी तक विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं दिया गया है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखंड मुख्यालय स्थित बालिका उच्च विद्यालय, गोमिया को सरकार स्थापना की अनुमति देने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड–2 में सन्निहित है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के अनुरोध के आलोक में अगर विद्यालय परिषद् में विधिवत् स्थापना हेतु आवेदन पत्र देता है, तो आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त परिषद् संदर्भित नियमावली के आलोक में कार्रवाई कर सकेगी।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–12/स.5(1)–120/2014.....1377...../ दिनांक 02-08-2014

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

(13)

श्री सत्यानन्द झा, स०वि०स० द्वारा दिनांक 05–08–2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–25

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग — **प्रभारी मंत्री– श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह**

यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है ;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि यदा–कदा सी०सी०एल०, बी०सी०सी०एल०, तथा ई०सी०एल०, के बन्द /परित्यक्त खदानों से अवैध खनन की सूचना प्राप्त होती है। उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्कफोर्स एवं उप निदेशक, खान की अध्यक्षता में उड़नदस्ता दल गठित है, जिसके द्वारा कोयला सहित अन्य खनिजों के अवैध खनन/परिवहन होने की स्थिति में छापामारी/प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि कोयले के अवैध कारोबार में वरीय पदाधिकारीगण संलिप्त हैं, परन्तु अभी तक सरकार द्वारा इन पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध कोयला कारोबार बन्द कराते हुए अवैध कारोबारियों एवं उच्च पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक नहीं तो क्यों ?	खण्ड 1 एवं खण्ड 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

A.... 3/8/14

(आनन्द मोहन ठाकुर)

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक– वि0स0(अ0सू0) 42/2014 ....899.... एम0 राँची, दिनांक 3.8.14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0 1542 दिनांक 30–7–2014 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

A.... 3/8/14

सरकार के उप सचिव

(74)

श्री अरविन्द कुमार सिंह, मा0 स० वि० स०, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 05.08.14. 2014 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–सं–12 के संबंध में।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता– श्री अरविन्द कुमार सिंह, मा0 स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1	क्या यह बात सही है कि चिकित्सकों को स्थानीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात ही वार्षिक वेतन वद्धि दिए जाने का नियम वर्तमान सरकार द्वारा बनाया गया है, जो पूर्णतः अव्यवहारिक है,	स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकों को वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने हेतु विशिष्ट रूप से कोई नियमावली गठित नहीं किया गया है। झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रॉची के संकल्प संख्या–3372 दिनांक–18.06.2003 के द्वारा केन्द्रीय परीक्षा नियमावली का गठन किया गया है, जिसकी कंडिका 13 (iii) के तहत राज्य के सभी राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए किसी एक जनजातीय भाषा की परीक्षा में उर्त्तीणता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। तद्नुसार राज्य के स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में भर्त्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त को विनियमित करने हेतु अधिसूचित झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली 2010 के नियम 17 में सेवा संपुष्टि हेतु जनजातीय भांषा की परीक्षा में उर्त्तीण होने की अपेक्षा की गयी है।
2	यदि उक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अव्यवहारिक नियम को वापस लेने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 3/वि०स०–03–35/14 869(3) राँची, दिनांक– 4-8-14

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र० 1496 दिनांक 29.07.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं प्रशाखा–17 को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.8.14.
(शुभ्रा वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

(15)

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

डॉ0 सरफराज अहमद, स.वि.स. द्वारा प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 15

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	उत्तर श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने कुल 4401 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति वर्ग 01 से 08 तक के लिए झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के माध्यम से अलग–अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन की है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा 4401 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया था। उक्त परीक्षा का नियुक्ति से संबंध नहीं है। यह एक पात्रता जांच परीक्षा है, जिसमें सफल होने पर कोई व्यक्ति शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकता है बशर्ते कि वह नियमावली के अन्य शर्तो को भी पूरा करता हो।
2.	क्या यह बात सही है राज्य सरकार ने वर्ग 01 से 08 तक के लिए कुल 4401 पदों को अब सिर्फ वर्ग 01 से 05 तक के लिये ही कर दिया है और नियुक्ति भी शुरू कर दी गई है;	अस्वीकारात्मक। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1999 में उर्दू शिक्षक के कुल 15000 पद **मैट्रिक प्रशिक्षित (अब इण्टर प्रशिक्षित) वेतनमान** में स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 4401 पद झारखण्ड राज्य में है। उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर उर्दू शिक्षक की ईकाईयों का वितरण प्राथमिक विद्यालय के साथ–साथ मध्य विद्यालयों में भी जिलों द्वारा किया गया है, क्योंकि इन मध्य विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 की भी पढ़ाई होती है।

		उर्दू शिक्षक के सभी 4401 पद इण्टर प्रशिक्षित वेतनमान में स्वीकृत है, अतएव इन पदों पर शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अनुसार इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के उक्त निर्णय से वर्ग 06 से 08 के लिए चयनित सफल उर्दू बी0एड0 अभ्यर्थियों का भविष्य अधड़ में पड़ गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1533, दिनांक 31.07.14 निर्गत होने के पूर्व कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का कोई पद स्वीकृत नहीं था। राज्य सरकार ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का 7926 पद स्वीकृत किया है, जिनमें से 3541 पद भाषा शिक्षक के लिए है। उक्त अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि उर्दू मध्य विद्यालयों में ऐसे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी, जिन्होंने कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाषा–1 के रूप में उर्दू एवं अंग्रेजी रहा हो।
4.	क्या यह बात सही है कि उक्त निर्णय से वर्ग 06 से 08 में पढ़ने वालो उर्दू भाषी छात्रों को भी उर्दू शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है	अस्वीकारत्मक।
5.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्ग–01 से 08 तक के लिए निर्णित कुल 4401 उर्दू शिक्षकों के पद को पूर्ववत कर बी0एड0	इस खण्ड का उत्तर खण्ड 3 के उत्तर में ही निहित है।

	उर्दू सफल अभ्यर्थियों एवं वर्ग 06 से 08 तक उर्दू की शिक्षा से वंचित हो रहें उर्दू भाषी छात्रों के साथ न्याय करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–1560/ राँची, दिनांक– 4/8/14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1493, दिनांक 29.07.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(76)

माननीय विधायक श्री मिस्त्री सोरेन द्वारा दिनांक 05.08.14 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 14 से संबंधित उत्तर सामग्री

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि जिला– पाकुड़ के प्रखण्ड पाकुड़िया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन वर्ष 2007–08 से अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है;		आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुतः पाकुड़ जिला के पाकुड़िया प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कराया जा रहा है ।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में चिकित्सा कार्य चालू नहीं करने से आम लोगों को चिकित्सा सुविधा में कमी हो रही हैं;		अस्वीकारात्मक । आम लोगों को चिकित्सा सुविधा पुराने भवन में उपलब्ध कराया जा रहा है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी सत्र– 2014–15 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन को चालू कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		इस योजना का कार्यान्वयन एन0आर0एच0एम0 द्वारा कराया जा रहा है । एन0आर0एच0एम0 से प्राप्त सूचनानुसार भवन के फिनिसिंग का कार्य प्रगति पर है । भवन हस्तगत होने के बाद इस भवन में चिकित्सा कार्य प्रारंभ किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 49/14– 628(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 04.8.14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 1498/वि0स0, दिनांक 29.07.14 के क्रम में 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.8.2014
सरकार के अवर सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

77

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

डॉ0 सरफराज अहमद, स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–16

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	उत्तर श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि संवैधानिक अधिकार के तहत् राज्य के सभी उर्दू भाषी छात्र–छात्राओं को सभी विषय की किताब उर्दू में उपलब्ध कराने का संकल्प है;	वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 के उर्दू भाषी छात्र–छात्राओं को भाषा विषय का पाठ्य–पुस्तक उर्दू में उपलब्ध कराया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार के नियम के अनुसार प्रत्येक 30 उर्दू भाषी छात्रों पर 01 (एक) उर्दू शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार प्रत्येक विद्यालय में 30 उर्दू भाषी छात्र–छात्राओं पर एक उर्दू शिक्षक की नियुक्ति एवं सभी छात्र–छात्राओं को उर्दू भाषा में सभी विषयों की पुस्तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1999 में उर्दू शिक्षकों का 15000 पद स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 4401 पद झारखण्ड में है। इन पदों पर नियुक्ति की जा रही है। उर्दू भाषी छात्र–छात्राओं को सभी विषयों की पुस्तकें उर्दू में उपलब्ध कराने के बिन्दु पर समग्र रूप में विचार हेतु झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् को निदेशित किया जा रहा है।

(विमल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–8/व3–84/2014...1550.../ राँची, दिनांक– 2/8/14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1492, दिनांक 29.07.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विमल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(78)

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, मा0 सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 05.08.2014 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्र0सं0–10 का उत्तर सामग्री।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मा0 मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची
1. क्या यह बात सही है कि आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति नियमावली अभी तक नही बन पायी है ?	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में आयुष चिकित्सकों की 80% से अधिक पद रिक्त है,	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 2009 में माननीय उच्च न्यायालय में शपथ–पत्र दिया गया था कि आयुष चिकित्सकों की यथाशीघ्र नियमावली बनाकर स्थायी नियुक्ति की जायगी।	स्वीकारात्मक है।
4. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में स्थापित आयुष चिकित्सा महाविद्यालय (आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, प0सिंहभूम, यूनानी महाविद्यालय, गिरिडीह, होमियोपैथिक महाविद्यालय, गोड्डा) शिक्षकों की नियुक्ति के अभाव में शुरू नहीं हो पाया है।	आयुर्वेदिक महाविद्यालय, प0 सिंहभूम एवं यूनानी महाविद्यालय, गिरिडीह का आधारभूत संरचना निर्माणाधीन रहने के कारण केन्द्र सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली से मान्यता नहीं मिली है। होमियोपैथिक महाविद्यालय, गोड्डा वर्ष–2004–05 से ही संचालित है।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त विषयक विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	1. झारखण्ड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2014 का गठन प्रक्रियाधीन है। कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त है। वित्त विभाग की सहमति हेतु संचिका वित्त विभाग को भेजी गई है। वित्त विभाग, विधि विभाग एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। 2. झारखण्ड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2014 का गठन प्रक्रियाधीन है। कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त है। वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में संचिका झारखण्ड लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजी गई है। वित्त विभाग, विधि विभाग एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। 3. उपर्युक्त नियमावलियों के गठन के पश्चात् रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जायेगी। 4. वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अनुबंध पर शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक संवर्ग के आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् अनुबंध पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 20 / आयुष(अ0सू0प्र0सं0)–09 / 14– 128 (20) दिनांक : 3-8-2014

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0 1501, दिनांक– 29.07.14 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(19)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-24

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा विधान-सभा क्षेत्र के प्रखण्ड गढ़वा अन्तर्गत ग्राम+पोस्ट बेलहारा में हाई स्कूल नहीं है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि बेलहारा में हाई स्कूल नहीं रहने से वहाँ एवं आस-पास के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु लगभग 6-7 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर उच्च विद्यालय नहीं रहने से वहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा पाने से भी वंचित रह जाते हैं?	वस्तुस्थिति यह है कि मध्य विद्यालय, बेलहारा के छात्र निकटतम राजकीयकृत गोवावल उच्च विद्यालय, डुमरिया में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर (बेलहारा में) उच्च विद्यालय (High School) का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् चरणबद्ध तरीके से 5 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। बेलहारा मध्य विद्यालय के छात्रों को भी 5 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-127/2014.....1389...../ दिनांक.....02-08-2014.....

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

(80)

माननीय विधायक श्री मिस्त्री सोरेन द्वारा दिनांक 05.08.14 को सदन में पूछा जाने वाला
अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 13 से संबंधित उत्तर सामग्री

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के प्रखण्ड महेशपुर के केराछत्तर में प्राथमिक स्वास्थ्य भवन का ग्राउण्ड फ्लोर छत का ढ़लाई कार्य काफी घटिया होने के कारण बनते–बनते नया में ही छत से पानी चू रहा है;		आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुतः पाकुड़ जिला के प्रखण्ड महेशपुर के केराछत्तर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का ग्राउण्ड फ्लोर छत के ढलाई की गुणवत्ता सही है, बल्कि छत ढलाई दो पार्ट में होने के चलते ज्वाइंट पर मामूली रुप से छत सिपेज हो गया है, जिसे एक सप्ताह के अन्दर सुधार कर दिया जाएगा ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी संवेदक एवं कर्मियों को दण्डित करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		कार्यपालक अभियन्ता, संथाल परगना, स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक– 874, दि0– 01.08.14 के माध्यम से संवेदक को चेतावनी देते हुए निदेश दिया है कि त्रुटि को सुधार करते हुए आगे के कार्य के प्रति सजग एवं जवाबदेह रहे ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 50/14– 633(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 04.08.14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 1497/वि0स0, दिनांक 29.07.14 के क्रम में 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.8.2014
सरकार के अवर सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

81

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 05.08.14 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०— अ०सू०—08 से संबंधित उत्तर सामग्री।

प्रश्नकर्त्ता / प्रश्न	उत्तरदाता / उत्तर
श्री बंधु तिर्की, मा० स०वि०स०	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मा० मंत्री, स्वास्थ्य चि०शि० एवं प०क० विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत ग्राम—ईटकी में एम्स (AIIMS) निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग की अपनी 200 एकड़ भूमि उपलब्ध है ;	स्वीकारात्मक। ईटकी में स्वास्थ्य विभाग की अपनी 200 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
2. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या सरकार राँची जिलान्तर्गत ग्राम—ईटकी में एम्स (AIIMS) निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	ईटकी के अतिरिक्त अन्य जगह पर भी भूमि की उपलब्धता है। परन्तु एम्स (AIIMS) कहाँ बनेगा सरकार द्वारा अभी निर्णय नहीं हुआ है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः— 9 / विधायी —06—05 / 2014 स्वा0—169 (9) / राँची / दिनांकः— 3/8/2014

प्रतिलिपिः—अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को विधान सभा सचिवालय के पत्रांक—1397 दिनांक 25.07.2014 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/8/14
(विनोद कुमार मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

82

श्री बन्ना गुप्ता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –03

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के पाँचों विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के 1043 पद रिक्त है, इनमें राँची विश्वविद्यालय में 171, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग में 257, सिद्धों–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय में 167, नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय में 246 और कोल्हान विश्वविद्यालय में 202 रिक्त पद है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि व्याख्याता के कमी के कारण महाविद्यालयों में पठन–पाठन प्रभावित हो रहा है जबकि प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में शीघ्र व्याख्याताओं की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु स्थापित प्रावधानों के तहत त्वरित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2–25/2014.....1176/ रांची दिनांक–.....04/08/14...../

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1399 दिनांक–25.07.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(83)

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-05.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या -11

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विभिन्न अंगीभूत चार विश्वविद्यालयों कमशः राँची विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, विनोबाभावे विश्वविद्यालय एवं सिद्धों-कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय के 22 अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ष 2005 से संचालित शिक्षण प्रशिक्षण (B.Ed) में कार्यरत शिक्षकगण 2005 से ही कार्य करते चले आ रहे है।	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है। ये संस्थान स्ववित्तपोषित संस्थान के रूप में संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है कि NCTE ने प्रशिक्षण महाविद्यालय को बन्द करने हेतु शिक्षा सचिव झारखण्ड एवं संबंधित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को इस संदर्भ में सूचित कर चुका है।	यद्यपि इस तरह की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है, तथापि विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार संबंधित शिक्षण संस्थानों को एन0सी0टी0ई0 के मापदण्डों को पूरा करने का निदेश दिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि लगभग 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों का पद सृजन करने एवं सेवा नियमितिकरण की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	B.Ed पाठ्यक्रम का संचालन स्ववित्तपोषी योजना के अंतर्गत होता है। अतः इन संस्थानों में राज्य सरकार द्वारा पद सृजित करने एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा का नियमितिकरण करने का कोई विचार नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बी0एड0 पाठ्यक्रम में कार्यरत शिक्षकों की सेवा नियमितिकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्ड-3 में समाहित है।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-36/2014..1188 रांची दिनांक-04/08/2014

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1494 दिनांक-29.07.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(84)

श्री कमल किशोर भगत, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-05.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या -07

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु सरकार द्वारा संकल्प पारित कर चार विश्वविद्यालयों के अधीन 22 अंगीभूत इकायों में B.Ed की पढ़ाई प्रारंभ की गई थी।	उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अधिनियम, 1993 के लागू होने के पश्चात् बी0एड0 सहित अन्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की मान्यता आवश्यक हो गयी है। राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित 22 अंगीभूत महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त कर स्ववित्त पोषित संस्थान के रूप में बी0एड. कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि NCTE के मापदंडों के अनुसार खंड-1 में उधृत B.Ed महाविद्यालयों का संचालन हेतु वर्ष 2005 में सरकार द्वारा एक इकरारनाम किया गया था।	एन0सी0टी0ई0 अधिनियम के प्रावधानों के तहत् किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (बी0एड0) को मान्यता प्राप्ति हेतु सरकार से एकरारनामा की आवश्यकता नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि NCTE के नियमों एवं मापदंडों के अवहेलना करने के कारण उपरोक्त 22 B.Ed महाविद्यालय बंद कर दिये जायेंगे।	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ही शिक्षक प्रशिक्षण संस्थनों को मान्यता प्रदान करती है। मान्यता की अर्हता संबंधी प्रावधानों का उलंघन होने पर एन0सी0टी0ई0 ही ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार है। विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार संबंधित शिक्षण संस्थानों को एन0सी0टी0ई0 के मापदण्डों को पूरा करने का निदेश दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शैक्षणिक विकास एवं छात्र हित में NCTE के नियमों का पालन करते हुए अंगीभूत 22 B.Ed महाविद्यालयों को सूचारू रूप से संचालन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका-3 में समाहित है।

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-28/2014...1187... रांची दिनांक-04/08/2014

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1405 दिनांक-25.07.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.8.14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(85)

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

श्री रघुवर दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा गया अल्प सूचित प्रश्न संख्या स–09 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या–1/होमियोपैथ–01/2001/377 (1) स्वा0, दिनांक 29.05.2002 द्वारा सिंहभूम होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं अस्पताल के शासी निकाय का गठन किया गया था ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा 2004 में त्याग–पत्र देने, क्रमांक–2 पर नामित टिस्को के सदस्य 2008 में सेवानिवृत हो जाने के उपरान्त, नया उपाध्यक्ष के पदाधिकारी की सेवा 2011 में समाप्त हो जाने के कारण, शासी निकाय निष्क्रिय हो गया है तथा महाविद्यालय में पठन–पाठन अवरूद्ध हो गया है ;	i) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। ii) अधिसूचना संख्या 377 (1) दिनांक 27.05.2002 द्वारा गठित शासी निकाय के अध्यक्ष उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम हैं। वर्त्तमान उपायुक्त के पूर्व के उपायुक्तों द्वारा शासी निकाय की बैठक की जाती रही है। वर्त्तमान उपायुक्त द्वारा शासी निकाय के अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। iii) अधिसूचना के क्रमांक–(2) के अनुसार शासी निकाय के उपाध्यक्ष टिस्को द्वारा नामित सदस्य हैं। वर्त्तमान में श्री अवनीश गुप्ता उपाध्यक्ष हैं। iv) अधिसूचना के क्रमांक–(3) एवं (5) के सदस्य सेवानिवृत हो गये हैं, क्रमांक–(4) के सदस्य सेवा से बरखास्त कर दिये गये हैं एवं क्रमांक–(7) के सदस्य वर्त्तमान में माननीय सांसद नहीं है। v) वर्त्तमान में पठन–पाठन चल रहा है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड की उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित शासी निकाय को पुनर्गठन कर महाविद्यालय में पठन–पाठन प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	शासी निकाय को पुनर्गठित करने हेतु विधि (न्याय) विभाग के परामर्श के लिए संचिका दिनांक 26.05.14 को विधि विभाग को पृष्ठांकित की गई है। संचिका मंतव्य सहित वापस करने हेतु स्मारित भी किया गया है। विधि विभाग से परामर्श प्राप्त होने के पश्चात् शासी निकाय को पुनर्गठित करने की कार्रवाई की जायेगी।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 127 (20) राँची, दिनांक : 3-8-2014

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रांची को उनके ज्ञाप संख्या 1495 दिनांक 29.07.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(86)

श्री विनोद कुमार सिंह माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 05.08.14 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–02 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में रैयत को अपनी निजी लकड़ी हेतु ट्रांजिट परमिट (परिवहन अनुज्ञापन) डी0एफ0ओ0 से प्राप्त करना होता है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि आम ग्रामीणों के लिए यह एक लम्बी व जटील प्रक्रिया है ;	झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन्य उत्पाद (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अनुसार परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत हेतु कार्रवाई की जाती है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ट्रांजिट परमिट की अधिकार पंचायत को देने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नियमावली में संशोधन सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–5 / वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–63 / 2014 3542 व0प0, राँची, दिनांक– 04/08/14

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1400 दिनांक–25.07.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/8/14

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(87)

श्री माधवलाल सिंह माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 05.08.14 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
संख्या–अ0 सू0–19, क्या मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग, यह बतलानें की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया तथा पेटरवार प्रखण्ड से गुजरनेवाली दामोदर नदी को सी0सी0एल0 के कथारा प्रक्षेत्र के कथारा कोयलरी के कथारा बाशरी द्वारा स्लरी का बहाव नदी में होने से नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है;	अस्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कथारा कोयलरी का ओभरवर्डन एवं रिजेक्ट कोयला गिराने से नदी का अतिक्रमण हो गया है;	अंशतः स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित कथारा वाशरी द्वारा स्लरी का बहाव नदी में नहीं कराने का उचित व्यवस्था कराकर दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चूँकि कथारा कोलियरी के कथारा वाशरी से नदी में स्लरी का बहाव नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अल्पसूचित प्रश्न सं0–65/2014– 3541 व0प0, राँची, दिनांक– 04/08/14

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1500 दिनांक–29.07.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/8/14

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(88)

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री ढुलू महतो, स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–17

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	**श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधान सभा क्षेत्र में अनेक उर्दू प्राथमिक विद्यालय संचालित है;	वस्तुस्थिति यह है कि बाघमारा विधान सभा क्षेत्र में 12 उर्दू प्राथमिक विद्यालय एवं 3 उर्दू मध्य विद्यालय संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है कि क्षेत्र में उर्दू मध्य विद्यालय की संख्या नगण्य होने के कारण उर्दू के छात्र–छात्राओं को काफी परेशानी होती है साथ ही उर्दू के अध्यापकों की भी कमी है;	वैसे विद्यालय जहां उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 50 या उससे अधिक है, उनमें उर्दू शिक्षक का पद दिया गया है और उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि संचालित उर्दू प्राथमिक विद्यालयों को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय करने एंव शिक्षकों की नियुक्ति करने से क्षेत्र में उर्दू शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा;	बाघमारा विधान सभा क्षेत्र में 45 प्राथमिक विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है, जिनमें से एक उर्दू प्राथमिक विद्यालय भी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार संचालित उर्दू प्राथमिक विद्यालयों को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय करने तथा उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् को निदेशित किया जा रहा है कि वे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उर्दू प्राथमिक विद्यालय के उत्क्रमण पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–8/व.3–88/2014....1558 राँची, दिनांक– ....4/8/14....

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1491, दिनांक 29.07.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

89

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05.08.2014 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–21 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि रेशम एवं हस्तकरघा निदेशालय अंतर्गत सहायक अधीक्षकों के कुल स्वीकृत 70 पद में 06 कार्यरत, 64 रिक्त पद है;	अस्वीकारात्मक। झारखंड सरकार, उद्योग विभाग, हस्तकरघा, रेशम एव हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत सहायक अधीक्षक के कुल 71 पद स्वीकृत है। कुल स्वीकृत 71 पदों को भरने हेतु अधिसूचना सं0–1735 दिनांक 11.09.13 की अध्याय–2 (ख) द्वारा 75% अर्थात् 53 (तिरपन) पद सीधी भर्त्ती द्वारा एवं 25% अर्थात् 18 (अट्ठारह) पद प्रोन्नति से भरने का प्रावधान किया गया है (झारखंड राज्य रेशम नियमावली, 2013 एवं निदेशालय आदेश ज्ञापांक–1827 दिनांक 27.11.2013 की प्रति द्रष्टव्य)। अधिसूचना सं0–1735 दिनांक 11.09.2013 द्वारा **"झारखंड राज्य रेशम नियमावली, 2013"** का गठन होने के उपरांत वर्ष 2013 में सीधी नियुक्ति हेतु कर्णांकित कुल 53 पदों के विरूद्ध कुल 21 (इक्कीस) कर्मी कार्यरत थे। उक्त के आलोक में कुल 32 (बत्तीस) पद रिक्त था (रोस्टर पंजी सधारण का प्रपत्र द्रष्टव्य), जिसकी अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य रेशम नियमावली, 2013 के अनुसार 75% सीटों पर सीधी नियुक्ति करने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक। झारखंड राज्य रेशम नियमावली, 2013 के अनुसार कुल स्वीकृत 71 (इकहत्तर) पदों का 75% अर्थात् 53 (तिरपन) पदों पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान है।
3	क्या यह बात सही है कि रेशम निदेशालय द्वारा नियमतः 75% यानि 48 पदों की रिक्ति के बदले मात्र 32 पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य कर्मचारी चयन आयोग, राँची को अधियाचना भेजा गया है;	अधिसूचना सं0–1735 दिनांक 11.09.2013 द्वारा **"झारखंड राज्य रेशम नियमावली, 2013"** का गठन होने के उपरांत वर्ष 2013 में सीधी नियुक्ति हेतु कर्णांकित कुल 53 पदों के विरूद्ध कुल 21 (इक्कीस) कर्मी कार्यरत थे। उक्त के आलोक में कुल 32 (बत्तीस) पद रिक्त था, जिसकी अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सीधी नियुक्ति हेतु सभी 48 पदों पर बहाली हेतु सशोधित अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजना चाहती है, हॉ, तो कब तक, नही तो क्यों?	**यथा उपर्युक्त।**

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 976 /राँची, दिनांक 01–08–2014

01 / वि0स0–04–34 / 2014 / उ0वि0

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या–1538 दिनांक–30.07.2014 के आलोक में उत्तर की 250 (दो सौ पचास) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/08/14

सरकार के अवर सचिव

(90)

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक 05–08–2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–04

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग प्रभारी मंत्री– श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम(चाईबासा) जिला में लौह अयस्क के 42 खनन पट्टे निर्गत किये गये हैं ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त 42 में से मात्र 4 खनिज पट्टे का नवीनीकरण हुआ है और शेष में अवैध रूप से आज भी खनन का काम जारी है ?	उत्तर आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि 02 मूल खनन पट्टा की अवधि समाप्त नहीं हुई है, एवं 01 नवीकरण के पश्चात् कार्यरत है। 39 खनन पट्टे का नवीकरण विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध रूप से चल रहे लौह अयस्क के खदान को अविलम्ब बंद कराना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड–02 के उत्तर के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

4.8.14
(आनन्द मोहन ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक– वि0स0(अ0सू0) 41/2014 901 एम0 राँची, दिनांक 4.8.14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0 1402 दिनांक 25–7–2014 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/8/14
सरकार के उप सचिव

श्री बन्ना गुप्ता, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.08.2014 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या –05

प्रश्न	उत्तर
1. क्या मंत्री, निबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 से 2013 के बीच जमशेदपुर में सरकारी जमीन औद्योगिक और व्यवसायिक करने वाले कम्पनियों को जमीन की रजिस्ट्री दोण और टाड़ (खेती योग्य सबसे रद्दी जमीन) बताकर की गई है;	1. स्वीकारात्मक । पक्षकारों द्वारा ऐसे दस्तावेजों का निबंधन कराया गया है जिसमें सरकारी भूमि भी निहित है ।
2. क्या यह बात सही है कि गलत तरीके से रजिस्ट्री किए जाने से सरकार को करोड़ों रूपये की हानि हुई है तथा इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है:	2. आंशिक स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मामले की जाँच करवाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	3. स्वीकारात्मक । निबंधन विभाग के पत्रांक 1021 दिनांक 01.08.14 द्वारा निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, द0छो0 प्रमण्डल रांची एवं कोल्हान प्रमण्डल को इसकी जांच कर प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

ज्ञापांक:– 1025 रांची, दिनांक: 2-8-14

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा के ज्ञाप सं० प्र०– 1403 वि०स० रांची, दिनांक 25.07.2014 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2/8/14

सरकार के संयुक्त सचिव,
निबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची ।

(92)

श्री समरेश सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-05.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या -22

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिला के सभी महाविद्यालय को मिलाकर धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय स्थापना का प्रस्ताव विगत 18 माह से सरकार के पास विचाराधीन लंबित है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कोयलांचल विश्वविद्यालय निर्माण संघर्ष समिति एवं कई अन्य माननीय स0वि0स0 द्वारा धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह जिला के लिए धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की गयी है। नये विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित Norms/Guideline/ Regulation उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को पत्र दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि कोयलांचल विश्वविद्यालय के माँग के लिए वर्ष 1985 से ही लगातार आन्दोलन चल रहा है।	इस आशय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि आन्दोलन के क्रम में वर्ष 1985 में R.S. मोर कॉलेज गोविन्दपुर का एक छात्र जितेन्द्र कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से ही गयी थी।	विनोबाभावे विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में इसे अस्वीकार किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छात्र-छात्रों के हित में कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-38/2014.....1180/ रांची दिनांक- 04/08/14

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1539 दिनांक-30.07.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(93)

श्री अरुप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 05.08.14 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – 18 से संबंधित उत्तर सामग्री।

प्रश्नकर्त्ता / प्रश्न	उत्तरदाता / उत्तर
श्री अरुप चटर्जी, मा0 स0वि0स0	**श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मा0 मंत्री, स्वास्थ्य चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1. क्या यह बात सही है कि रिनपास में गैर मनोचिकित्सक, गैर मनोवैज्ञानिक और किसी मनोचिकित्सा संस्थान में काम न करने वाले बायोकेमेस्ट्री के शिक्षक को निदेशक बना दिया गया है ;	स्वीकारात्मक। कार्यकारी व्यवस्था के तहत डॉ0 के0के0 सिन्हा, प्राध्यापक बायोकेमेस्ट्री विभाग, रिम्स, राँची को रिनपास, काँके, राँची का प्रभारी निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि रिनपास निदेशक की सेवानिवृत्ति उम्र–62 साल है जबकि डॉ0 के0के0 सिन्हा (निदेशक प्रभारी रिनपास) की उम्र–62 साल से ज्यादा हो गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उम्र सीमा पर थोड़ा स्पष्टता का अभाव है। मंत्री परिषद् की स्वीकृति में राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (एलोपैथीक) के कार्यरत् चिकित्सा पदाधिकारियों, दंत चिकित्सकों एवं राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में कार्यरत् चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के चिकित्सा शिक्षकों / पदाधिकारियों की उम्र सीमा 65 वर्ष की गई है। चूँकि रिम्स और रिनपास स्वयतशासी संस्थान है और उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण तकनिकी समस्या का निराकरण पुनः कराया जा रहा है। डॉ0 के0के0 सिन्हा, प्राध्यापक बायोकेमेस्ट्री विभाग, रिम्स, राँची को कार्यकारी व्यवस्था के तहत रिनपास, काँके, राँची का प्रभारी निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रिनपास और रिम्स में स्थायी निदेशक नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सबद्ध विज्ञान संस्थान राँची (रिनपास) में नियमित निदेशक की नियुक्ति हेतु मई, जून 2013 में विज्ञापन प्रकाशित की गई थी। सुयोग्य अभयार्थी नहीं मिलने के कारण पुनः विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है एवं राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) राँची में नियमित निदेशक की नियुक्ति हेतु दिनांक 17.06.2014 को विज्ञापन प्रकाशित कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0सं0 12 / रिनपास (वि0स0)–05–01 / 2014 135(12) स्वा0, दिनांक :– 03/08/2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को विधान सभा सचिवालय के पत्रांक–1499 / वि0स0 दिनांक– 29.07.2014 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/8/14

(विनोद कुमार मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(94)

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री विनोद कुमार सिंह, स.वि.स. द्वारा प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–01

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	**श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 80 हजार से ज्यादा पारा शिक्षकों की गत चार माह से वेतन बकाया है ?	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विगत वर्ष भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान लंबित था। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा मानदेय भुगतान हेतु राशि जिलों को विमुक्त कर दी गई है और कतिपय जिलों में भुगतान भी हो गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्काल बकाया वेतन की भुगतान करने की विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड 1 के उत्तर में निहित है।

(विमल) 8/14

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–8/व. 3–74/2014–1551 / राँची, दिनांक– 21/8/14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1398, दिनांक 25.07.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विमल) 8/14

सरकार के संयुक्त सचिव।